126

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 639–दो/2014 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 26–12–2013 – पारित द्वारा – नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना – प्रकरण कमांक 20/2012–12 अ–6

1– राकेश डोहर पुत्र रामनिवश्वास
2– श्रीमती संतोषी डोहर पत्नि लल्लू डोरह
दोनों निवासी ग्राम नचनौरा तहसील
रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश । ——आवेदकगण

विरूद्व

1– सत्यनारायण 2– रामफल
3– वीरेन्द्र पुत्रगण जगदीश डोहर
तीनों निवासी ग्राम बदखर तहसील
रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश
4– महिला तिजिया उर्फ बेसनिया डोहर
पुत्री पुन्ना डोहर ग्राम जैतवारा चिल्ला
तहसील विरसिंहपुर जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सतानन्द पाण्डे)

आ दे श

(आज दिनांक 18 -07 -2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 20/2012–12 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 26–12–2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नचनौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 216/1 रकबा 0.367 है. विकय पत्र कमांक 2311 दिनांक 16-11-1992 के आधार पर हलका पटवारी के समक्ष नामान्तरण कार्यवाही प्रारंभ हुई, किन्तु नामानतरण पर आपत्ति आने से मामला विवादित होने के कारण नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर को कार्यवाही हेतु अंतरित हुआ, जिस पर से तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना ने प्रकरण कमांक 20/2012-12 अ-6 दर्ज किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। पेशी 26-12-13 को नायव तहसीलदार ने उभय पक्ष की उपस्थिति में प्रकरण पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आगामी तिथि 6-1-14 नियत की। नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 20/2012-12 अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26-12-2013 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने स्थल की स्थिति एंव पटवारी अभिलेख अनुसार स्थिति जानने हेतु प्रकरण पटवारी के प्रतिवेदन के लिये आगामी पेशी पर नियत किया है पटवारी के प्रतिवेदन से आवेदकगण को कौनसी हानि होने की संभावना है - आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। निगरानी मेमो के उन्मान में अंतरिम आदेश दिनांक 20-12-2013 के विरूद्ध भी निगरानी करना अंकित है किन्तु सामान्य नियम है कि एक आदेश के विरूद्ध केवल एक ही अपील/निगरानी मान्य की जावेगी, दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील/निगरानी मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश दिनांक 26-12-2013 पर विचार किया गया है। नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 20/2012-12 अ-6 के परीक्षण पर पाया गया कि इस प्रकरण का नायव तहसीलदार ने अंतिम आदेश दिनांक 27-1-14 से अंतिम निराकरण कर दिया है और नायव तहसीलदार का

यह आदेश अपील योग्य है। अंतरिम आदेश दिनांक 26-12-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना पाई गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 20/2012-12 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर